



# रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)

## सूचना

इन्द्रप्रस्थ योजना फेस-2 योजनांतर्गत EWS फ्लैट्स के समस्त पात्र हितग्राहियों को जिनको अनुदान राशि की प्रथम किश्त (रु. 91,000/-) प्रदाय की जा चुकी है को सुचित किया जाता है कि अनुदान राशि की दूसरी किश्त (रु. 59,000/-) अवमुक्त किया जाना है।

तदानुसार पात्र हितग्राही कार्यालयीन दिवस में मुख्य कार्यालय रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर की लेखा शाखा में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें, ताकि परीक्षण उपरांत अनुदान राशि की दूसरी किश्त प्रदाय किया जा सकें।

आदेशानुसार  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
रायपुर विकास प्राधिकरण  
रायपुर (छ.ग.)

